न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या — 47/2016

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.देशकंवर पत्नि नाथूसिंह, जाति राजपूत,निवासी बिशनगढ, 2.कंकरकंवर पत्नि परबतसिंह, जाति राजपूत,निवासी बिशनगढ, तहसील जालोर, जिला जालोर		1. अभयसिंह पुत्र मोहनसिंह तथाकथित गोदपुत्र वीरसिंह, जाति राजपूत,निवासी बिशनगढ, तहसील जालोर, जिला जालोर 2.तीजकंवर पत्नि वीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी नून, तहसील कालन्द्री, जिला सिरोही 3.भूमिधारी तहसीलदार जालोर, तहसील जालोर, जिला जालोर (राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर ,दिनांक --(ना.क.सं.976)

उपस्थिति :–
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2–श्री महिपालसिंह, भाटी,अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3.श्री मुकेश राजपुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
4.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 9.12.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बिशनगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 157,158,159, कुल रकबा 2.99 हेक्टर की एक मात्र खातेदार तीजकंवर पत्नि वीरसिंह थी,उसने जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बैचाननामा दिनांक 22.5.14को अपीलांट्स को बएवज प्रतिफल बैचान कर कब्जा कराया ,तब से अपीलांट्स नियमानुसार म्युटेशन के जरिए वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज हुए , रेस्पोडेन्ट सं.1 --अभयसिंह ने उक्त बैचाननामा निरस्त करवाने हेतु जिला न्यायाधीश जालोर में सिविल दावा बाबत् बैचाननाना निरस्त करने का सन् 2014 में अभयसिंह बनाम तीजकंवर पेश किया जो आज भी विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 22.10.2016 को नियत है,जब तक सैल डीड निरस्त नहीं हो जाता तब तक

सैलडीड को माना जाना कानूनन आवश्यक है तथा दावा को विचाराधीन रहते हुए फिस्कल प्रोसिडिंग्स कीप पेण्डिग रखा जाना कानूनन आवश्यक है अन्यथा मुकद्मा बाजी पक्षकारों में बढती रहेगी, दावा विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत कर दिया जिससे यह अपील पेश की है,वर्तमान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने आप को अपीलांट का गोदपुत्र मानते हुए अपीलांट्स के जीवनकाल में अपीलांट्स के नाम रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि के 1/2हिस्से के हक खातेदारी का दावा सहायक कलेक्टर जालोर में पेश किया जिसका अपीलांट्स ने खण्डन करते हुए रेस्पोडेन्ट सं.1 को गोदपुत्र नहीं मानते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया ,दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र का भी जवाब पेश किया , अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र इस आधार पर खारिज हुआ कि गोदपुत्र को गोद लेने वाले की मृत्यु के बाद अधिकार उत्पन्न हो सकते है तथा गोदनामें को एडोप्शन एक्ट के प्रावधान धारा 7,8,10 के अनुकूल नही पाया था, उक्त निर्णय दिनांक 23.6.15 को सहायक कलेक्टर जालोर ने अभयसिंह बनाम तीजकंवर के प्रकरण में किया था, उसके बाद बिशनगढ न्याय आपके द्वार केम्प 2016 में गोदपुत्र के तथाकथित गोद लेने वाले अपीलांट्स के विरूद्ध 1/2 हिस्से की डिकी जारी की है जो मूल रूप से विधि व तथ्यों के विपरीत है। म्युटेशन निर्णित करने की एक निर्धारित प्रकिया है उसके तहत् जिसका नाम हटाया जा रहा है ,जिसका हक प्रभावित हो रहा है उसको विवादित नोटिस तामील करवाया जाकर उसको जवाब,सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देना कानूनन आवश्यक है, अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा समाप्त हो चुका है, म्युटेशन करने से पूर्व दोनो अपीलांट्स को नोटिस नही दिया गया , यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मामलें में निर्णय करने वाला नहीं हो सकता''इस प्रकरण में दावे के निर्णय पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है तथा म्युटेशन भी तहसीलदार ने ही निर्णित किया है, फैसलाकरने वाले ने ही फैसला कर दिया है जो उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल है, तहसीलदार को उक्त म्युटेशन निर्णित नहीं करके अन्यत्र भिजवाना था।अपीलांट्स का हित खसरा नम्बर 157,158,159 कुल रकबा 2.99 हेक्टर तक सीमित है जो अपीलांट्स की खरीदसुदा व कब्जासुदा है, अपीलाधीन म्युटेशन के पृष्ठ सं.1 में कॉलम सं.3 में अपीलांट्स को खातेदार बताया गया है, सभी खसरों व अलग अलग पक्षकारों को शामिल करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन एक ही भरा गया है, वह किन नियमों के तहत् भरा गया है, इसका स्पष्टीकरण रेस्पोडेन्ट सं.1 व3 से किया जावे,शामिल होने वाले पक्षकारों के अपील करने के अधिकार समाप्त हो गये है,एक ही म्युटेशन की 8–9 अपीले होने की संभावना है, अपीलांट्स

ने दिनांक 27.6.2016 को स्टे. की नकल पटवारी को दी तब अपीलाधीन म्युटेशन का प्रथम बार पता चला तो म्युटेशन की नकल मांगी जो दिनांक 26.7.16 को मिली, बाद में अपील पेश की जो जानकारी की 26.7.2016 से अपील अन्दर म्याद है, अतः अपीलाधीन म्युटेशन सं.976 दिनांक शून्य , तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत किया गया जो मौजा बिशनगढ, खसरा नम्बर 157,158,159 कुल रकबा 2.99 हेक्टर कॉलम सं.3 में दर्ज इन्द्राज संशोधित कर प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करावे कि अपीलांट्स को उक्त भूमि के इन्द्राज के अलावा इन्द्राज यथावत रखते हुए अपीलांट्स के पक्ष में म्युटेशन नये सिरे से करावे या पक्षकारान् के बीच विचाराधीन दोनो दावें के निस्तारण के अनुसार म्युटेशन की कार्यवाही करावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. अपीलांट्स के वकील ने दिनांक 11.11.19 को एक प्रार्थनापत्र बाबत् अपील निर्णित करने हेतु पेश किया।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई, अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा बिशनगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 157,158,159 कुल रकबा 2.99 हेक्टर खातेदार तीजकंवर पत्नि वीरसिंह ने जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बैचाननामा दिनांक 22.5.14को अपीलांट्स को बैचान कर कब्जा कराया तब से अपीलांट्स म्युटेशन के जरिए खातेदार हुए, रेस्पोडेन्ट सं. 1--अभयसिंह ने उक्त बैचाननामा निरस्त करवाने हेतु जिला न्यायाधीश जालोर में सिविल दावा सन् 2014 में अभयसिंह बनाम तीजकंवर पेश किया, जब तक सैलडीड निरस्त नहीं हो जाता तब तक सैलडीड को माना जाना आवश्यक है,उक्त म्युटेशन सं. 976 सहायक कलेक्टर जालोर के दावा सं. 38/14,अभयसिंह बनाम तीजकंवर में पारित निर्णय दिनांक 13.6.16 की पालना में तीजकंवर का नाम हटाकर रेस्पोडेन्ट सं.1--अभयसिंह के पक्ष में भरा गया है,उस म्युटेशनके विरूद्ध यह अपील पेश की है। सहायक कलेक्टर जालोर का दावा सं. 38/14,अभयसिंह बनाम तीजकंवर,निर्णय दिनांक 13.6.16 के विरूद्ध डिक्री अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकार,पाली के न्यायालय में पेश की जिसे दिनांक 16.8.19को स्वीकार कर सहायक कलेक्टर जालोर का दावा सं. 38/14 में पारित निर्णय निरस्त कर दिया

है,उसी निर्णय की पालना में म्युटेशन भरा गया है,जिस निर्णय की पालना में म्युटेशन भरा गया है, वह निर्णय निरस्त होने से उसके आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन सं.976 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील ने बताया कि म्युटेशन सं.976सही पारित किया गया है, रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर सहायक कलेक्टर जालोर के वाद में डिक्री का निर्णय दि.13.6.16 पारित कर रेस्पोडेन्ट सं.1 को /2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है,जब तक गोदनामा निरस्त नही हो जाता तब तक तब तक मान्य है,गोदनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.16 की पालना में यह म्युटेशन भरा गया है, अतःअपीलांट्स की अपील निरस्त करावे।

5 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम बिशनगढ नामान्तरकरण सं. 976 दिनांक 15.6.2016 ,न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर जालोर के वाद सं. 38/14, निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016की पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकार किया गया हैं। चूंकि उक्त डिक्री तथा निर्णय को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा अपील सं. 41/2016,निर्णय दिनांक 16.8.2019को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर को प्रतिप्रेषित किया गया। अतः उक्त निरस्त निर्णय की पालना में स्वीकार नामान्तरकरण सं.976(मौजा बिशनगढ)भी निरस्त योग्य है।

आदेश

अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 976 (ग्राम बिशनगढ)निरस्त कर तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि रिमाण्डयुक्त प्रकरण में सहायक कलेक्टर जालोर के निर्णय व डिक्री के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 9.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: